

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

क्रमांक / रीडर / 2023 / 99

दिनांक - 6-4-23

आदेश

प्राधी मदनमोहन पुत्र भगवानदास उर्फ भगवान प्रसाद मिश्र जाति ब्रह्मण विवासी खाटूरधामजी की आरे से वकील श्री सी.एच.शर्मा ने 'खाता दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र पेश करने पर तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गयी। तहसीलदार दांतारामगढ़ की रिपोर्ट अनुशांसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एन.आर.एक्ट के अनुसरण में ग्राम खाटूरधामजी पोहो खाटूरधामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्बत् 2076-2079 में खाता संख्या 936, 937, 430 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

| क्र. सं. | ग्राम / पोहो | खाता संख्या / खसरा नम्बर | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।) |
|----------|--------------|--------------------------|---|--|
| 1 | खाटूरधामजी | 936, 937, 430 | 1. खाता संख्या 936 में मदनमोहन पुत्र भगवानदास 2. खाता संख्या 937 में मदनमोहन पुत्र भगवानदास 3. खाता संख्या 430 में मदन पुत्र भगवानदास हिस्सा 1/18 व मोहन पुत्र भगवानदास हिस्सा 1/18 | खाता संख्या 936 व 937 में मदनमोहन पुत्र भगवानदास उर्फ भगवतप्रसाद मिश्र तथा खाता संख्या 430 में मदनमोहन पुत्र भगवानदास उर्फ भगवतप्रसाद मिश्र हिस्सा 1/9 |

(प्रतिभा वर्मा IAS)

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

दिनांक:- 6-4-23

क्रमांक / रीडर / 2023 / 99

प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्राधी श्री..... को सूचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़